



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272605
CG-DL-E-15052026-272605

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948

No. 333]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

सं. 22/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 367(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "3 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 2 के समक्ष, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर “16.5 रुपये प्रति लीटर” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 16 मई, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 06/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 19/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 324(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2026

No. 22/2026-Central Excise

G.S.R. 367(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 205(E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against serial number 1, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 3 per litre” shall be substituted.
- (ii) against serial number 2, in column (4), for the entry, the entry “Rs. 16.5 per litre” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 16th May, 2026.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 06/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 205(E), dated the 26th March, 2026 and last amended by notification No. 19/2026-Central Excise dated 30th April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 324 (E), dated 30th April, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

सं. 23/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 368(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के समक्ष, स्तंभ (4) में, "16 रुपये प्रति लीटर" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 16 मई, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190349/13/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी.- मूल अधिसूचना सं. 08/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 26 मार्च, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 26 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 20/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा किया गया था, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 325 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2026

No. 23/2026-Central Excise

G.S.R. 368(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 08/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 207 (E), dated the 26th March, 2026, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (4), for the entry, the entry "Rs. 16 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 16th May, 2026.

[F. No. 190349/13/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 08/2026-Central Excise, dated the 26th March, 2026 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 207 (E), dated the 26th March, 2026 and last amended by notification No. 20/2026-Central Excise dated 30th April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 325(E), dated 30th April, 2026.